चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 15.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

(2). आज दिनाँक 15.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में एसओजी व थाना राजापुर पुलिस की संयुक्त टीम ने तंत्र-मंत्र व झाड़-फूक कर लूट की घटना करने वाले 02 आरोपी अभियुक्तों को मय माल व अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया।

संक्षिप्त विवरणः- उल्लेखनीय है कि दिनाँक 13.07.2024 को वादी श्री दयाशंकर पुत्र रंजीत यादव ग्राम निवासी हरदौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 10.06.24 को समय लगभग 11.00 बजे रियाजुल उर्फ राजू पुत्र महबूब निवासी धरमपुर सातो थाना असोथर जनपद फतेहपुर हाल पता सुखदेव कालेज के पीछे मुसवापर थाना खागा जनपद फतेहपुर द्वारा पूजा पाठ कराने के नाम पर सम्पूर्ण परिवार को पूजा पाठ में बैठाना और घर के सारे आभूषण कान के दो सेट सोने के,दो गले के लॉकेट कुल वजन करीब डेढ तोला, 01 जोड़ी चाँदी के पायल, 6 अंगुठी, आधार कार्ड व बैंक की पासबुक आदि रखवाकर कहे कि ऑख बन्द कर अपने देवता को ध्यान लगाओ फिर दो घंट बाद ऑख खोलना अगर पहले आँख खोले तो सिर फट जाएगा। जब ढेड घंटे बाद आँख खोला तो सभी रखे आभूषण/अन्य सामान तथा मोटर साइकिल एच0एफ0 डीलक्स यू0पी0 96 के0 2939 लेकर भाग गये थे। इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 155/2024 धारा 386 भा0द0वि0 बनाम रियाजुल उपरोक्त एवं 01 अज्ञात साथी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक राजापुर एवं एसओजी प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे।

उक्त घटना के अनावरण के क्रम में आज दिनाँक 15.07.2024 को थाना राजापुर पुलिस व एसओजी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर छीबो रोड से पेट्रोल पम्प के पास से अभियुक्त 1. रियाजुल उर्फ राजू पुत्र महबूब निवासी धरमपुर सातो थाना असोथर जनपद फतेहपुर हाल पता सुखदेव कालेज के पीछे मुसवापर थाना खागा जनपद फतेहपुर 2. गौरव साहू उर्फ दीपक साहू पुत्र छबीलाल साहू निवासी हसनपुर अकुढिया थाना खागा जनपद फतेहपुर को गिरफ्तार किया गया जिसमें अभियुक्त रियाजुल उपरोक्त की जामा तलाशी से 01 अदद देशी तमंचा नाजायज 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 220 रूपये व एक अदद मोबाइल तथा अभियुक्त गौरव साहू उपरोक्त की जामा तलाशी से 01 अदद अदद मोबाइल, 210 रूपये तथा लूट की मोटर साइकिल एच0एफ0 डीलक्स यू0पी0 90 यू0 6088 की डिगी में रखे प्लास्टिक के डिब्बे में 02 अदद लॉकेट पीली धातु, 01 जोड़ी पायल,01 जंजीर तथा 03 अदद अंगूठी सफेद धातु बरामद की गयी।

पूंछतांछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण ने बताया कि हम लोगों के कब्जे से जो मोटर साइकिल व जेवरात बरामद हुए है,उनको हम लोगों ने दिनांक 10.06.24 को तंत्र-मंत्र,झाड़-फूक कर धमका कर दयाशंकर के घर से लूट ले गये थे। मोटर साइकिल का सही नम्बर यू0पी0 96 के0 2939 है। नम्बर प्लेट हम लोगों ने बदल दिया था जिससे हम लोग पकड़े न जा सके। हम लोग आज मऊ की तरफ झाड़-फूक करने जा रहे थे कि रास्ते में साथी का इंतजार करते समय आप लोगों ने पकड़ लिया। वादी मुकदमा को बुलाकर बरामद जेवरात व अन्य सामान तथा मोटर साइकिल की पहचान करायी गयी तो वादी मुकदमा द्वारा दोनो व्यक्तियों,माल तथा मोटर साइकिल की पहचान कर ली गयी।

घटना की प्रकृति व लूट के माल की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411/465 भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी कर अभियुक्त रियाजुल से बरामद अवैध तमंचा कारतूस के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0

157/2024 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। बरामद मोटर साइकिल धारा 207 एम0वी0 एक्ट के अन्तर्गत दाखिल किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही जारी हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

(I). रियाजुल उर्फ राजू पुत्र महबूब निवासी धरमपुर सातो थाना असोथर जनपद फतेहपुर हाल पता सुखदेव कालेज के पीछे मुसवापर थाना खागा जनपद फतेहपुर

(II). गौरव साहू उर्फ दीपक साहू पुत्र छबीलाल साहू निवासी हसनपुर अकुढिया थाना खागा जनपद फतेहपुर

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः-

छीबो रोड से भभेट पेट्रोल पम्प के पास थाना राजापुर जनपद चित्रकूट दिनांक 15.07.2024 समय 03.10 बजे

अभियुक्त रियाजुल का अपराधिक इतिहासः-

(I).मु0अ0सं0 51/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कड़ाधाम जनपद कौशाम्बी

(II).मु0अ0सं0 155/2024 धारा 386 भादवि0 थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

(III).मु0अ0सं0 157/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

अभियुक्त गौरव साहू का अपराधिक इतिहासः-

(I).मु0अ0सं0 155/2024 धारा 386 भादवि0 थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

(I). लूट के मोटर साइकिल एच0एफ0 डीलक्स यू0पी0 96 के0 2939

(II). 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद कारतूस 315 बोर

(III). 02 अदद मोबाइल

(IV). 02 अदद लाकेट पीली धातू, 01 जोड़ी पायल सफेद धातू, 01 अदद जंजीर, 03 अदद अंगूठी सफेद धातू

(v). 430 रूपये (जामातलाशी)

गिरफ्तार करने वाली टीमः-	**गिरफ्तार करने वाली टीम राजापुर**
एसओजी टीमः-	
1. निरीक्षक श्री एमपी. त्रिपाठी एसओजी प्रभारी	1.उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय
2. मुख्य आरक्षी जितेन्द्र	2. उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह
3. आरक्षी रोशन सिंह	3. उ0नि0 अंकित सिंह
4. गोलू भार्गव	4.आरक्षी लवकुश यादव
5. आरक्षी पवन राजपूत	5. आरक्षी प्रकाश मिश्रा
	6.आरक्षी अजय मिश्रा

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर 01 परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती कुसमा पत्नी रामसुहावन निवासी ग्राम पचोखर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि उसके उसके दामाद मिथलेश पुत्र चुन्ना,सास चन्दा पत्नी चुन्ना,जेठानी पार्वती पत्नी लवकुश,जेठानी केतकी पत्नी लवलेश निवासीगण बरगदी के पुरवा(बेराउर बांगर) थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा गाली गलौज,मारपीट व लड़ाई झगड़ा कर प्रताड़ित करते है। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी माद्री तोमर, महिला आरक्षी स्वेता कुमारी द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में मारपीट,गाली गलौज व लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी

2.महिला आरक्षी माद्री तोमर

3.महिला आरक्षी स्वेता कुमारी

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह एवं पैरोकार आरक्षी मनीष कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री प्रकाश यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 04/2019 धारा 363,366,376 भादवि0 व 5(g)6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त पप्पू उर्फ मुर्तजा पुत्र मुस्तका निवासी पिपरोही पुरवा सेमरदहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 13 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 15.01.2019 को वादी द्वारा थाना बहिलपुरवा में सूचना गयी थी कि मेरी नाबालिक बहन को कोई व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इस सूचना पर थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 04/2019 धारा 363.366 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर श्री रजनीश

कुमार यादव द्वारा की गयी थी दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आया कि अभियुक्त पप्पू उर्फ मुर्तजा पुत्र मुस्तका निवासी पिपरोही पुरवा सेमरदहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट द्वारा बहलाफुसलाकर भगा ले जाना तथा दुष्कर्म करना। इस आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भा0द0वि0 व 5(g)6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गयी एवं अभियुक्त को दिनांक 19.01.2019 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा दिनाँक 25.02.2019 आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(क). उ0नि0 श्री राजेश कुमार राय थाना सरधुवा हमराह आरक्षी राजकुमार द्वारा मु0अं0सं0 55/12 धारा 323,504,506 भादवि0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट के वारण्टी अभियुक्त बक्का पुत्र बाबूलाल केवट निवासी नन्ही का डेरा मजरा बरद्वारा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ख). उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना राजापुर मय हमराह आरक्षी बुद्धसेन विक्रम द्वारा मु0नं0 3852/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त कल्लू पुत्र सुकरू निवासी नादिनकुर्मियान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।